बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)

(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in

TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN- U74110BR202SGC018889

पत्रांक- T-I/Alleg./EEE-23004/2022 पटना, दिनांक-

प्रेषक,

शशिकान्त कुमार,
अवर सचिव

सेवा में,

श्री राकेश कुमार,
भूतपूर्व विद्युत कार्यपालक अभियंता, BSPTCL
सम्प्रति बर्खास्त।
202, एम.बी.एस., त्रिभुवन गार्डन,
BSEB कॉलोनी, रोड नं.- 1 एफ, शास्त्रीनगर,
पटना-800023

विषय- आपके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 07.05.2025 पर सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 07.05.2025 पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 13.08.2025 को सुनवाई की गई। उक्त प्रसंग में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय/आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु.- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

ह./-
(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक-____________/पटना दिनांक-____________

प्रतिलिपि- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-
(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक-____________/पटना दिनांक-____________

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), BSP(H)CL/SBPDCL/NBPDCL/BSPTCL/BSPGCL, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-
(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

कृ.पृ.उ.

ज्ञापांक- 2274 /पटना दिनांक- 09/09/2025

प्रतिलिपि- निदेशक (परियोजना)/ निदेशक (परिचालन)/सभी मुख्य अभियंता, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन/उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)/उप सचिव, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रशासक (मास्टर ट्रस्ट), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी अवर सचिव/डी.बी.ए., बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना / सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल/सभी लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल/लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/प्रशासी पदाधिकारी (ERP), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/श्री राकेश कुमार (Emp.ID- E01128), भूतपूर्व विद्युत कार्यपालक अभियंता, BSPTCL सम्प्रति बर्खास्त को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, BSPTCL से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

09/9/25

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

09.09.25

18

आदेश

श्री राकेश कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, यू०एल०डी०सी० (सम्प्रति सेवा बर्खास्त) को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या 873 दिनांक 01.04.2025 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13.08.2025 को सुनवाई की गई।

श्री राकेश कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता (यू०एल०डी०सी०) को दिनांक 19.10.2022 को निगरानी विभाग द्वारा 2 लाख रूपये रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या 508 दिनांक 26.10.2022 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प संख्या 310 दिनांक 22.02.2023 द्वारा उपर्युक्त आरोप एवं लोक सेवक के रूप में कम्पनी की छवि धूमिल करने के आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष समर्पित किया गया। जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संकल्प संख्या 76 दिनांक 09.01.2025 द्वारा श्री कुमार को द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत की गई। उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में श्री कुमार को स्मारित किये जाने पर उनके द्वारा निगरानी थाना कांड के निष्पादित होने तक विभागीय कार्यवाही को लंबित रखने का अनुरोध करते हुए उत्तर समर्पित नहीं किया गया।

उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में सभी तथ्यों पर सम्यकरूपेण विचार करते हुए तथा यह पाते हुए कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 2324 दिनांक 10.07.2007 में निहित प्रावधान के अनुसार अपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवक के विरूद्ध अपराधिक कार्रवाई के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है, के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाते हुए संकल्प संख्या 873 दिनांक 01.04.2025 द्वारा कम्पनी की सेवा से बर्खास्त करने की शास्ति अधिरोपित की गई।

अपने अपील अभ्यावेदन एवं सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः अपने बचाव में निम्नांकित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया :–

1. अनिवार्य प्रावधान की अनदेखी करने के फलस्वरूप आरोप पत्र पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है जिसे निरस्त करना चाहिए।
2. संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले में कोई भी जांच नहीं की गई। साक्ष्यों द्वारा दिये गये अभिकथन के संदर्भ में उचित निर्णय नहीं लिया गया।
3. विभागीय कार्यवाही में मात्र निगरानी विभाग द्वारा दायर प्राथमिकी एवं कागजातो के आधार पर उनके विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदन कर दिया जाना सरासर गलत एवं अनुचित है।

575

उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017 के संगत प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित तर्क कि जांच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में लगाये गये आरोपों के संदर्भ में कोई जांच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य नहीं है। जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि जांच पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों के मद में न केवल सम्यक समीक्षा की गई है बल्कि विभागीय कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत तथ्यों एवं गवाहों के बयान की सम्यक विवेचना करते हुए आरोपों के तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में निष्कर्ष समर्पित किया गया है, जो नियमानुकूल है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अग्रतर कथन कि विभागीय कार्यवाही में मात्र निगरानी द्वारा समर्पित अभिलेखों के आधार पर आरोपों को प्रमाणित मान लिया गया है, तथ्यों से परे है। वस्तुतः जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन, विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित तथ्य अभिलेख एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई गवाही आदि की सम्यक विवेचना के उपरान्त प्राप्त निष्कर्ष पर आधारित है। विभागीय कार्यवाही के दौरान निगरानी विभाग की ओर से उपस्थित अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अपनी गवाही में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को सम्पुष्ट किया गया जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया।

अपीलार्थी अपील विचारण के क्रम में ऐसा कोई तथ्य/अभिलेख भी प्रस्तुत करने में विफल रहे जिसके आधार पर उनकी सदोषता प्रमाणित होती हो। अपीलीय प्राधिकार के रूप में अधोहस्ताक्षरी का यह स्पष्ट अभिमत है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के है। मामले के गुणावगुण पर विचारोपरान्त ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ जिसके आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय में हस्तक्षेप का कारण उत्पन्न होता हो। अतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित शास्ति समुचित एवं प्रत्यानुपातिक है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री राकेश कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, यू०एल०डी०सी० (सम्प्रति सेवा बर्खास्त) को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या 873 दिनांक 01.04.2025 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

(मनोज कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक